न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2022

अपीलांट्स –	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. अणदाराम पुत्र मोतीराम 2. सवाईराम पुत्र अणदाराम 3. राणाराम पुत्र अणदाराम जातियान जाट निवासी महादेवपुरा, नांद तहसील व जिला बाड़मेर		1. बाबूराम पुत्र गंगाराम 2. खेताराम पुत्र गंगाराम 3. पूनमाराम पुत्र भींयाराम 4. काछूराम पुत्र भींयाराम 5. चिमाराम पुत्र भींयाराम 6. कुम्भाराम पुत्र गोमाराम 7. जूंझाराम पुत्र गोमाराम 8. हेमी पत्नी गोमाराम 9. भारूराम पुत्र लालाराम 10. अगराराम पुत्र भारूराम 11. कलाराम पुत्र भारूराम 12. पूनमाराम पुत्र लालाराम 13. ताजाराम पुत्र लालाराम 14. मानाराम पुत्र लालाराम 15. वीरोंदेवी पत्नी लालाराम जाति जाट निवासी महादेवपुरा, नांद तहसील व जिला बाड़मेर 16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरेस 17. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2015 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बी एल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पदमाराम परिहार, [illegible] की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 22.05.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2125–2127 दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा आदर्श बस्ती नांद के खेत खसरा संख्या 470 एवं 797/471 कुल रकबा 424 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारान बाबू खेता पि0 गंगा पूनमा काछू चिमा पि0 भींया अणदा वल्द मोती कुंभा जुंझा पि0 गोमा हेमी पत्नी गोमा भारू वल्द अर्जुन पूनमा ताजा माना पि0 लाला वीरो पत्नी लाला कौम जाट के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 06.07.2015 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी नांद की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2125–2127 दिनांक 07.07.2015 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ने पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा आदर्श बस्ती हाल नवसृजित महादेवपुरा पटवार क्षेत्र नांद के खसरा नंबर 470 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 797/471 रकबा 424–15 बीघा बारानी सोयम का सहमति विभाजन धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। उत्तरदाता संख्या 1 से 5 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर अपीलांट के साथ धोखा करते हुए विवादित भूमि के विभाजन नक्शा पर हस्ताक्षर करवाये तथा उसे बदलकर नया नक्शा चिपका कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया जो निरस्त योग्य है। सहमति विभाजन में हलका पटवारी की कब्जा–काश्त अनुसार भूमि की किस्म, रहवासी ढाणी, टांके, बाड़े को सुरक्षित रखते हुए नजरी–नक्शे पर रिपोर्ट करनी होती है किन्तु अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट होता है कि पहले से बनाये गये फॉर्मेट में काश्तकारों के नाम भरकर कार्यालय में ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर कोई तारीख भी अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को गौर किये बिना अपीलाधीन [illegible] पारित किया है जो खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह [illegible] अरसा 15 दिन पूर्व रेस्पोडेंट के सीमाज्ञान आवेदन पर हलका पटवारी मौके पर [illegible]ये व अपीलांट के कब्जे–काश्त एवं रहवासी ढाणी की बाड़ के अन्दर तक पैमाईश कर दखलंदाजी करने पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट द्वारा विरोध किया। इस पर रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट के कब्जे–काश्त वाली भूमि विभाजन मे उन्हें प्राप्त हुई है। इस पर अपीलांट ने हलका पटवारी से दिनांक 25.06.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की व 29.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय से आलौच्य विभाजन आदेश दिनांक 07.07.2015 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त की तब अपीलांट को रेस्पोडेंट की धोखाधड़ी का ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञान होने की तारीख से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। इसके उपरान्त भी अज्ञानतावश उक्त अपील पेश करने में कानूनन हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने हेतु धारा 5 परिसीमा का आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 व 12 से 15 ने दिनांक 06.07.2015 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा आदर्श बस्ती नांद के खेत खसरा संख्या 470 एवं 797/471 कुल रकबा 424 बीघा 19 बिस्वा का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत नांद द्वारा की गई। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट संख्या 1 ने अपना निष्फ हिस्सा प्राप्त करने के पश्चात अपीलांट संख्या 2 व 3 ने अपना नाम उक्त विभाजित पैतृक कृषि भूमि में दर्ज करवाया तथा वर्तमान में विभाजित खसरा संख्या 945/471 रकबा 7.5838 व खसरा 946/471 रकबा 9.4858 हैक्टर में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील करीब 7 साल बाद प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.06.2022 को होने का तथ्य अभिलेखीय तौर पर गलत एवं मनगढत अंकित किया है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह [illegible] ता है कि मौजा आदर्श बस्ती नांद के खेत खसरा संख्या [illegible] 424 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारान ने राजस्व [illegible] न्याय आपके द्वार 2015 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 06.07.2015 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नांद की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2125–2127 दिनांक 07.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 05.07.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलकर्तागण अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर उतरदाता संख्या 1 से 5 ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके अभियान में उक्त खेतों का विभाजन अपीलाकर्तागण के कब्जे के विपरीत करवाकर उसकी तरमीम करवा दी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा अर्सा 15 दिन पूर्व जब रेस्पोडेन्ट्स के सीमाज्ञान आवेदन पर हलका पटवारी ने अपीलांट्स के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करते हुए अपीलांट्स को उनकी रहवासीय ढाणीयां हटाने का प्रयास करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा होने की बात कही तब अपीलांट्स द्वारा विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई जो उन्हें 29.06.2022 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई।

8. अपीलांट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 के तहत आयोजित शिविर में विभाजन स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार अभियान के दौरान अपीलांट्स एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में पैतृक भूमि दर्ज होने के पश्चात उसके दोनों पुत्रों अपीलांट संख्या 2 व 3 द्वारा भी अपना नाम खातेदारी में सम्मिलित करवाया है तथा इस तथ्य को छिपाते हुए हस्तगत अपील मे कोई उल्लेख नहीं किया है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के करीब 7 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर